

## GST परषिद की 53वीं बैठक

### प्रलिस के लयि:

[वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परषिद](#), [GST अपीलिय नयायाधकिरण](#), [धन शोधन नविवरण अधनियिम](#), [प्रवरतन नदिशालय](#), [आधार](#) ।

### मेन्स के लयि:

51वीं GST परषिद बैठक के परणाम, GST परषिद से संबंघति मुद्दे, GST परषिद के कार्य ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

### चरचा में कयों?

हाल ही में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परषिद](#) की 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लयि अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों को मंजूरी दी गई है, जसिमें छात्रावास आवास, रेलवे सेवाओं आदिको छूट दी गई है ।

- बैठक में सात वर्षीय GST के अंतरगत वभिनिन कर दरों के पुनरगतन पर चरचा करने के लयि अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति वियक्त की गई ।

### 53वीं GST परषिद बैठक की प्रमुख वशिषताएँ कया हैं?

- **आधार-आधारति बायोमेट्रिकि प्रामाणीकरण:** परषिद ने फरज़ी चालान के माध्यम से कयि गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिटि दावों से नपिटने के लयि राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रिकि-आधारति [आधार](#) प्रामाणीकरण शुरू करने की घोषणा की । इसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना है ।
- **छात्रावास आवास के लयि छूट:** शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास सेवाओं को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 20,000 रुपए तक के करिये पर GST से छूट दी गई है, जसिसे यह छात्रों और श्रमिक वर्ग के लयि अधिक कफायती हो गया है ।
  - यह छूट केवल 90 दिनों तक के प्रवास के लयि लागू होती है, जबकि पहले ऐसे करिये पर 12% GST लगता था ।
- **भारतीय रेलवे सेवाएँ: प्लेटफॉर्म टिकट** पर GST छूट, यात्रियों पर वत्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य । यह नरिणय रेलवे सेवाओं को और अधिक कफायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हसिसा है ।
- **कार्टन पर GST दर में कमी:** वभिनिन प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई । इस बदलाव का उद्देश्य इन आवश्यक पैकेजि सामग्रियों की कुल लागत को कम करके नरिमाताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाना है ।
- **दूध के डबिबों तथा सौर कुकरों पर GST कटौती:** सभी दूध के डबिबों के लयि 12% की एक समान GST दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे अथवा एल्यूमीनियम से बने हों ।
- **गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों के लयि ब्याज एवं जुर्माने में छूट:**
  - परषिद ने GST अधनियिम की धारा 73 के तहत जारी डमिंड नोटसिों पर ब्याज एवं जुर्माने को माफ करने की सफारशि की है, जो उन मामलों पर लागू होता है जनिमें धोखाधड़ी, गोपनीयता अथवा गलत बयान शामिल नहीं होते हैं ।
- **अपील दायर करने के लयि नई मौद्रिकि सीमाएँ:** GST परषिद ने वभिनिन नयायालयों में वभिग द्वारा अपील दायर करने के लयि नई मौद्रिकि सीमा की सफारशि की है जो GST [अपीलीय नयायाधकिरण](#) के लयि 20 लाख रुपए, उच्च नयायालय के लयि 1 करोड रुपए तथा [सर्वोच्च नयायालय](#) के लयि 2 करोड रुपए है ।
- इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाज़ी को कम करना है ।
- **राज्यों को केंद्रीय सहायता एवं सशरत ऋण:** सरकार ने 'पूजी नविश के लयि राज्यों को वशिष सहायता योजना' प्रारंभ की है, जसिके अंतरगत कुछ ऋण राज्यों द्वारा नागरिकि-केंदरति सुधारों एवं पूंजीगत परयोजनाओं को लागू करने की शरत पर दयि जाएंगे और साथ ही राज्यों से इन ऋणों तक पहुँचने के लयि मानदंडों को पूरा करने का आग्रह कयिा गया है ।
- **पेट्रोल एवं डीज़ल GST के अंतरगत:** केंद्र सरकार ने पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के अंतरगत लाने की मंशा वियक्त की है, बशरते कि लागू कर दर पर राज्यों के बीच आम सहमति बिन जाए ।
  - इसे देशभर में ईंधन पर एक समान कराधान की दशिा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है ।

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** एक मूल्य वर्धति (Ad valorem) कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- यह एक अपरत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में प्रस्तुत किया गया था।

## GST परिषद क्या है?

### ■ परिचय:

- GST परिषद भारत में **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सफ़ारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार एक **संवैधानिक निकाय** है।
- जहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों कई कर लगाते थे, इसकी स्थापना भारत में मौजूदा **कर ढाँचे को सरल बनाने के लिये** की गई थी, परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में कर संरचना अधिकि एकरूप हो गई।

### ■ सांविधानिक प्रावधान:

- **101वें संशोधन अधिनियम, 2016** ने **GST** की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।
- इस संशोधन अधिनियम की सहायता से संविधान में एक नया **अनुच्छेद 279-A** शामिल किया गया जो **राष्ट्रपति** को **GST** परिषद के गठन का अधिकार देता है।
  - तदनुसार, **राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में आदेश जारी किया** और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया।

### ■ सदस्य:

- परिषद के सदस्यों में केंद्र से **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, **केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)** शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।

### ■ प्रकार्य:

- **अनुच्छेद 279A (4)** परिषद को **GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों** जैसे कि GST के अधीन अथवा GST से छूट-प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, मॉडल GST कानून तथा GST दरों पर **संघ तथा राज्यों** को सफ़ारिशें करने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह निर्धारित करता है कि किस **GST दर स्लैब** का उपयोग किया जाए और क्या उत्पाद की विशेष श्रेणियों को इन स्लैब में संशोधन की आवश्यकता है।
- यह परिषद प्राकृतिक आपदाओं/वपिदाओं के दौरान **अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विशेष दरों** और कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों पर भी विचार करती है।

### ■ कार्य:

- GST परिषद अपनी बैठकों में **उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत के आधार** पर निर्णयन करती है।
- बैठक आयोजित करने के लिये कुल सदस्यों के **50% की गणपूर्ति (Quorum)** होना आवश्यक है।
  - **केंद्र सरकार** के मत का भारांक/महत्त्व बैठक में डाले गए कुल मतों के **एक-तहाई** के बराबर होता है।
  - सभी **राज्य सरकारों** के मतों का भारांक किये गए कुल मतों के **दो-तहाई** के बराबर होता है।
- **GST परिषद की सफ़ारिशों** को शुरुआत में आबद्धकर माना जाता था कति वर्ष 2022 में **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** **???** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय किया कि इसकी सफ़ारिशें आबद्धकर नहीं हैं क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास "एक साथ" GST पर विधिनिरमाण की शक्ति है।

# Impact of GST

## Economy

- Dual monitoring by the Centre and states to reduce tax evasion
- Better compliance through real time matching of supplier and purchaser
- Reduction in the approx Rs 1.8 lakh crore annual loss due to excise duty exemptions
- Cut in Rs 1.5 lakh crore estimated loss to states due to tax exemptions

## Companies

- Tax credits to **lower their tax burden, improve profit margin**
- **No distinction** between product and service for tax purposes
- Uniform tax across the country to **ease doing business**
- **Smooth movement** of products across states
- One-time increase in compliance cost likely

## Consumer

- Most products are likely to be less expensive over time
- Most services (eg. restaurants, travels, mobile bills, insurance premium) likely to cost more
- Mobiles, Jewellery, some ready made wear in some states may cost more

## What is not part of GST

### Alcohol

Industry keen, states block move to include alcohol for human consumption. They want total freedom to tax the sin good

source. Petrol, diesel, aviation fuel, natural gas and crude stay out for two years

### Real Estate

Stamp duty to remain on sale of property but service tax, where applicable, to be part of GST

### Petroleum

States don't want to give up power to tax, given this is an easy revenue

## दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न: GST ढाँचे के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। GST प्रणाली के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिये चुनौतियों का समाधान करने के उपाय सुझाइए।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

### प्रश्न 1. नमिनलखिति मदों पर वचिर कीजिये: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के क्रयान्वति किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चातू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा तथा उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को कषतपूर्ति) अधिनियम, 2017 के त्रकाधार की व्याख्या कीजिये। कोवडि-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर कषतपूर्तिनिधि को प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

प्रश्न. उन अपरत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयान्वति जीएसटी के राजस्व नहितार्थों पर भी टपिपणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संवधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य वशिषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कयिह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की वविचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में वलिंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/53rd-gst-council-meeting>

